

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 8

नागर विमानन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2002.22	755.18	2757.40	2257.79	99.35	2357.14	2556.94	101.74	2658.68	2330.31	70.00	2400.31
वसूलियां	-0.26	...	-0.26
प्राप्तियां
निवल	2001.96	755.18	2757.14	2257.79	99.35	2357.14	2556.94	101.74	2658.68	2330.31	70.00	2400.31
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	46.99	13.87	60.86	53.50	4.31	57.81	63.85	13.70	77.55	65.00	25.00	90.00
2. नागर विमानन महानिदेशालय	234.27	117.02	351.29	280.00	22.64	302.64	278.00	22.64	300.64	300.00	30.00	330.00
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	64.93	24.29	89.22	74.00	15.00	89.00	79.00	8.00	87.00	80.00	15.00	95.00
4. रेल सुरक्षा आयुक्त												
4.01 रेल सुरक्षा आयुक्त	18.28	...	18.28	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00
5. कौशल विकास हेतु अनुदान												
5.01 कौशल विकास हेतु अनुदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. ऐरो खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन के संस्थानों को सहायता अनुदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7. एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करना	51.00	...	51.00	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	125.00	...	125.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	415.47	155.18	570.65	512.52	41.95	554.47	527.87	44.34	572.21	592.02	70.00	662.02
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
8. क्षेत्रीय संपर्क स्कीम	822.22	...	822.22	502.00	...	502.00	800.00	...	800.00	540.00	...	540.00
9. कृषि उड़ान योजना	0.01	...	0.01
10. ट्रोन और ट्रोन घटक के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	31.22	...	31.22	57.00	...	57.00	57.00	...	57.00
11. टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) से सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क	124.17	...	124.17	142.75	...	142.75

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	853.44	...	853.44	559.01	...	559.01	981.17	...	981.17	682.75	...	682.75
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
12. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय वैमानिकी विश्वविद्यालय	9.00	...	9.00	10.02	...	10.02	8.02	...	8.02	10.02	...	10.02
13. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	29.88	...	29.88	17.45	...	17.45	22.20	...	22.20	20.00	...	20.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	38.88	...	38.88	27.47	...	27.47	30.22	...	30.22	30.02	...	30.02
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
14. एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड(एसपीवी)	650.00	...	650.00	1158.79	...	1158.79	1017.67	...	1017.67	1025.51	...	1025.51
15. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	44.43	...	44.43	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	0.26	0.26	...	0.26	0.26
17. एआईएएचएल में इक्विटी निवेश												
17.01 अलाएंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएल) को वित्तीय सहायता के लिए एआईएएचएल में इक्विटी निवेश	...	600.00	600.00
18. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	57.14	57.14	...	57.14	57.14
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	694.43	600.00	1294.43	1158.79	57.40	1216.19	1017.68	57.40	1075.08	1025.52	...	1025.52
अन्य												
19. वास्तविक वसूलियां	-0.26	...	-0.26
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	733.05	600.00	1333.05	1186.26	57.40	1243.66	1047.90	57.40	1105.30	1055.54	...	1055.54
कुल जोड़	2001.96	755.18	2757.14	2257.79	99.35	2357.14	2556.94	101.74	2658.68	2330.31	70.00	2400.31
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.88	9.88	7.55	7.55
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	9.88	9.88	7.55	7.55
आर्थिक सेवाएं												
2. नागर विमानन	1954.97	...	1954.97	2002.32	...	2002.32	2291.12	...	2291.12	2025.34	...	2025.34
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	46.99	...	46.99	53.50	...	53.50	63.85	...	63.85	65.00	...	65.00
4. नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	...	741.31	741.31	...	95.04	95.04	...	88.04	88.04	...	45.00	45.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.99	3.99	...	4.31	4.31	...	13.70	13.70	...	17.45	17.45
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2001.96	745.30	2747.26	2055.82	99.35	2155.17	2354.97	101.74	2456.71	2090.34	62.45	2152.79
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	201.97	...	201.97	201.97	...	201.97	239.97	...	239.97
जोड़-अन्य	201.97	...	201.97	201.97	...	201.97	239.97	...	239.97
कुल जोड़	2001.96	755.18	2757.14	2257.79	99.35	2357.14	2556.94	101.74	2658.68	2330.31	70.00	2400.31

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
	(₹ करोड़)											
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	...	4612.62	4612.62	...	3448.14	3448.14	...	3912.92	3912.92	...	4193.83	4193.83
जोड़	...	4612.62	4612.62	...	3448.14	3448.14	...	3912.92	3912.92	...	4193.83	4193.83

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **नागर विमानन महानिदेशालय:** यह प्रावधान नागरिक उड्डयन महानिदेशक और इसके क्षेत्रीय और फिल्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। यह प्रशिक्षण परियोजनाओं, ईजीसीए परियोजना के लिए प्रावधान करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के योगदान के लिए प्रावधान भी शामिल है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** यह प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने, सुरक्षा उपकरणों की खरीद, आईटी उपकरण, आईसीएओ के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भारत के योगदान और सम्मेलन के लिए है।

4. **रेल सुरक्षा आयुक्त:** यह प्रावधान सीआरएस तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है जो कि रेल यात्रा और प्रचालनों में सुरक्षा से संबंधित है।

5. **कौशल विकास हेतु अनुदान:** यह प्रावधान कौशल विकास के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संस्थानों के लिए सहायता अनुदान हेतु है।

6. **ऐरो खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन के संस्थानों को सहायता अनुदान:** यह प्रावधान एयरो स्पोर्ट्स के संवर्धन / विकास के लिए नागर विमानन में संस्थानों को सहायता अनुदान हेतु है।

7. **एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करना:** विनिवेश के बाद एआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए यह प्रावधान किया गया है।

8. **क्षेत्रीय संपर्क स्कीम:** यह प्रस्ताव नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग हेतु हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और आरसीएस मार्गों को शुरू करने के लिए है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एयर कनेक्टिविटी और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए एक नई योजना भी तैयार की गई है।

9. **कृषि उड़ान योजना:** कृषि उड़ान योजना के लिए कोई अपेक्षित व्यय नहीं।

10. **ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** यह प्रावधान ड्रोन और ड्रोन घटक उद्योग/कंपनियों के लिए उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है।

11. **टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) से सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क:** यह प्रावधान टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलए) को सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क के लिए है।

12. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय वैमानिकी विश्वविद्यालय:** एनएयू का प्रावधान मशीनरी और उपकरण और अन्य स्थापना व्यय और आईजीआरयूए के लिए टोकन प्रावधान के लिए किया गया है।

13. **विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान एईआरए के वेतन के लिए सहायता अनुदान और इसके स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान है।

14. **एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड(एसपीवी):** यह प्रावधान एअर इंडिया की वित्तीय पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप एसपीवी को ऋण की सर्विसिंग के लिए रखा गया है।

15. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:** अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए टोकन प्रावधान किया गया है।
16. **रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड:** प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को शुल्क और स्टॉप शुल्क के भुगतान के लिए रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड में निवेश के लिए यह प्रावधान किया गया है।
18. **होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह प्रावधान नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) के तहत इसके वैधानिक और अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए एचसीआईएल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 57.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया है।